म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26,किसान भवन,अरेरा हिल्स,भोपाल

क./बोर्ड/नियमन/भुगतान/2018–19/2574 भोपाल, दिनांक 30/08/2019

प्रति,

1– संयुक्त संचालक/उप संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय .....(समस्त)

2– भारसाधक अधिकारी/सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति
..... जिला ..... (समस्त)

विषयः–व्यापारी संगठनों की ओर से मण्डी समितियों में नगद भुगतान के संबंध में प्रस्तुत ज्ञापन।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बोर्ड/नियमन/भुगतान/2018–19/1957 29.05.19

–0–

प्रदेश की विभिन्न मण्डियों में कुछ व्यापारियों के द्वारा किसानों की भुगतान योग्य राशि बैंक ट्रांसफर प्रणाली आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के द्वारा यथासमय भुगतान न करते हुए एवं अवकाश के दिनों का दुरूपयोग करते हुए विलम्ब से भुगतान किये जाने तथा कुछ मण्डियों के कतिपय व्यापारियों के द्वारा किसानों के भुगतान बैंक ट्रांसफर प्रणाली(ऑनलाइन) से भुगतान न करते हुए किसानों को चेक जारी किए गए। उक्त चेक बैंकों से अनादरित हुए तथा कई किसानों को उनकी उपज का भुगतान विलम्ब से प्राप्त हुआ एवं कई किसानों का भुगतान लम्बित रहा। उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत किसानों के भुगतान की सुनिश्चितता के लिए मण्डी बोर्ड द्वारा प्रदेश की मण्डियों में किसानों के द्वारा विक्रय किए गए उपज का अधिकतम रूपये 2.00 लाख नगद भुगतान करने के आदेश जारी किये गये।

(2) प्रदेश की विभिन्न मण्डियों के व्यापारियों एवं व्यापारी संगठन की ओर से इस आशय के ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, कि भारत सरकार द्वारा बजट वर्ष 2019–20 में 02 सितम्बर,2019 से सालाना एक करोड़ की निकासी पर 2% टी.डी.एस. का प्रावधान किये जाने से मण्डी बोर्ड, भोपाल के पत्र क्रमांक–1957 दिनांक 29.05.19 के अनुसार किसानों को उनके द्वारा मण्डी में विक्रय की गई कृषि उपज का नगद भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की गई है।

(3) एक करोड़ की निकासी पर टी.डी.एस. का प्रावधान 02 सितम्बर,2019 से लागू किये जाने से व्यापारियों एवं व्यापारी संगठन की ओर से उक्त आशय का ज्ञापन मण्डी समितियों में प्रस्तुत किये गये हैं और यदि मण्डी समितियों द्वारा कृषकों का भुगतान

नगद करने हेतु व्यापारियों को बाध्य किया जाता है, तो उनके द्वारा मण्डियां बन्द की जाएगी इस आशय की सूचना विभिन्न मण्डियों द्वारा मुख्यालय को भेजी गई है।

(4) व्यापारियों द्वारा टी.डी.एस. कटौत्रे से बचने के लिए नगद भुगतान की असमर्थता व्यक्त करने एवं मण्डी बोर्ड के परिपत्र कमांक– 1957 दिनांक 29.05.19 के अनुसार नगद भुगतान की बाध्यता रखने से वर्तमान स्थिति में मण्डी के व्यापारियों द्वारा कय–विकय प्रभावित न किया जा सके। इसके लिए बोर्ड द्वारा व्यापारियों एवं किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन भुगतान हेतु पेमेंट गेटवे की व्यवस्था विकसित करने के लिए निविदा जारी की गयी थी, किन्तु उपयुक्त निविदा के अभाव में पेमेंट गेटवे प्रणाली के लिए बैंक का चयन नहीं किया जा सका। अभी पुनर्निविदा की कार्यवाही प्रकिया में है।

(5) भारत सरकार के बजट वर्ष 2019–20 अनुसार वर्ष में एक करोड़ नगद आहरण पर 2% टी.डी.एस. के कारण मण्डियों में नगद भुगतान करने हेतु व्यापारियों द्वारा व्यक्त की गई असमर्थता को दृष्टिगत रखते हुए एवं 02 सितम्बर, 2019 से मण्डियों में क्रय–विक्रय सतत् रूप से बनाए रखने के उद्देश्य से निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–

i. मण्डी बोर्ड द्वारा किसानों एवं व्यापारियों को सुविधा की दृष्टि से पेमेंट गेटवे हेतु पुनः निविदा जारी की गई है। बैंक के चयन में एक माह का समय लगना संभावित है। सितम्बर माह के अन्त तक एमपी आनलाइन के पास उपलब्ध पेमेंट गेटवे के उपयोग तक के लिए जो भी पहले हो व्यापारियों से नगद भुगतान की व्यवस्था निरन्तर रखने हेतु व्यापारियों को अवगत कराया जावे।

ii. मण्डियों में पेमेंट गेटवे की प्रणाली लागू करने तक यदि व्यापारियों द्वारा नगद भुगतान को निरन्तर नहीं रखा जाता है, तो कृषकों को उनके द्वारा विक्रय की गई कृषि उपज का आर.टी.जी.एस./एनईएफटी के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित कराया जाए।

iii. व्यापारियों द्वारा किसानों से कय की गई कृषि उपज का भुगतान होने के पश्चात् ही अनुज्ञा जारी की जाएगी।

iv. प्रदेश की कुछ मण्डियों की पूर्व की घटना के मद्देनजर किसानों के भुगतान की सुनिश्चितता हेतु व्यापारियों से मण्डी प्रावधानों के अनुसार 01 दिन अधिकतम खरीदी के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस जमा कराई जाए।

v. सामूहिक प्रतिभूति की स्थिति में व्यापारी संघों से संशोधन प्रारुप– 7 पर प्रमाण–पत्र लिया जाए जिसमें किसी भी क्रेता व्यापारी के द्वारा किसानों का भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण राशि का भुगतान सामूहिक प्रतिभूति में से किया जा सकेगा।

vi. मण्डियों में किसानों का शतप्रतिशत भुगतान समय पर कराने हेतु नगद भुगतान की व्यवस्था के निर्देश जारी किये गये थे। यदि शासन प्रावधानों के कारण व्यापारी/केता कृषकों को नगद भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो बैंक ट्रांसफर प्रणाली (ऑनलाइन) आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./यूपीआई/आईएमपीएस इत्यादि किसी भी ऑनलाइन प्रकिया से भुगतान कर सकते हैं परन्तु भुगतान की सुनिश्चितता पश्चात् ही ई–अनुज्ञा जारी की जा सकेगी। इसकी सूचना से व्यापारियों को अवगत कराया जाए।

(6) सभी मण्डी समितियों में किसानों को उद्घोषणा के माध्यम से सूचित किया जावे कि वह 02 सितम्बर,2019 से अपनी कृषि उपज के साथ अपना बैंक खाता कमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड, (बैंक पास–बुक की फोटो कापी) साथ लेकर आवें ताकि उनकी कृषि उपज का भुगतान व्यापारियों द्वारा नगद न किए जाने की स्थिति में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. से किया जा सके।

उक्त सूचना मण्डियों में सूचना पटल के साथ–साथ मण्डी परिसर में बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित किया जावे तथा सतत् प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें।

30/8/19

(अशोक कुमार वर्मा)
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ. क./बोर्ड/नियमन/भुगतान/2018–19/2575 भोपाल, दिनांक 30/08/2019

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।

30/8/19

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल